सीताराम बनाम गंगाबख्श वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	मु० - नं० - 8/2005
1/6/17	सुनवाई प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट स्थल-....नागौर..... में पेश हुआ/ वकील वादी प्रतिवादी तथा पक्षकारान उपस्थित/ अनुपस्थित। प्रकरण में [illegible] सद्भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा व समझौता के प्रयास किये गये। [illegible] के प्रयासों के बावजूद भी प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा नहीं हो सका। अतः पत्रावली पूर्व नियत दिनांक 18/8/17 को पेश हो।
3-11-17	इकबाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाव फरिकेन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्यों में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28-3-18 को पेश हो।
28-3-18	[illegible] पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22-6-18 को पेश हो।
10-5-18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष-2018 [illegible] (ग्रुप-1) विभाग जयपुर के [illegible] (10) [illegible] को पालना एवं [illegible] निर्देशों को 22-6-18 से तत्व हाल [illegible] में पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट स्थल- नागौर में दिनांक 28-5-18 [illegible] उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित [illegible] पक्षकारान को नोटिस जारी हो।
28-5-18	पत्रावली आज न्याय-आपके द्वार अभियान-2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प नागौर मे पेश हुई। प्रकरण मे वादी पुत्र सीताराम ने उपस्थित होकर पक्षकारान के मध्य आपस मे राजीनामा हो जाने से प्रकरण को आगे नही चलाकर विड्रा किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर

Scanned by CamScanner

घासीराम बनाम गंगाबख्श वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	यू. ए. - 3/2005	

वाद पत्र को निरस्त किये जाने की स्वीकृति किया जाकर वाद पत्र को निरस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पक्षकारान कैसल शुमार होकर वाद खारिज दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28-5-18 को राजस्व लोक अदालत के कैम्प - नागल के इजलास-ए-आम में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्प - नागल